तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2269/2005/हनुमानगढ़ दलीपराम बनाम मनोज कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-02-2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शशिकांत जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के अंतर्गत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 29.04.2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का तहसीलदार टिब्बी के समक्ष दिनांक 2.5.2003 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी उसके पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। तहसीलदार टिब्बी ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को तलब किया। प्रार्थी ने अपना जवाब पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजि0 बयनामा प्रतिफल देकर क्रय किया गया है एवं कब्जा प्राप्त किया है। उपरोक्त मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तहसीलदार के द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। तहसीलदार टिब्बी के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2005 से आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण को तहसीलदार टिब्बी को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस निगरानी में सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2269/2005/हनुमानगढ़ दलीपराम बनाम मनोज कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकॉर्ड के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी जरिये रजि0 बयनामों से खरिद की गई है एवं स्वर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा बेचान की गई है। उपरोक्त तथ्यों की उपेक्षा कर अपीलीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी मृतक बुजनाराम को आवंटन हुई थी। जिसके आवंटन आदेश व सनद खातेदारी में बुजनाराम की जाति भाट दर्ज है। उसी के आधार पर जमाबंदी में भी यहीं नाम दर्ज है। भाद जाति आज तक स्वर्ण जाति में शामिल है और जिस वक्त बयनामें हुये है उनमें अप्रार्थी ने भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है। हलफनामा भी पेश किया गया है जिसमें उसने अपनी जाति भाट बताई है। अप्रार्थी स्वयं को मृतक बुजनाराम का दत्तक पुत्र बताता है क्योंकि मृतक बुजनाराम का कोई हकुक पुत्र या संतान नहीं है। इस कारण वह बुजनाराम की मुत्यु के बाद स्वयं की जाति हरिजन बताकर के बृजनाराम द्वारा बेची गई संपत्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मनोज कुमार ने प्रार्थीगण के पक्ष में करवाये गये बयनामो में खुद के हस्ताक्षर कर के बयनामें की ताईद में शपथ पत्र भी पेश कर के यह तथ्य स्वीकार किया है कि उनकी जाति भाट स्वर्ण है। उपरोक्त स्वीकृति के बाद भी अप्रार्थी अपने आपको हरिजन बताकर के प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने से कानूनन वर्जित है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी एक अनुसुचित जाति का सदस्य है। अपीलांट के पिता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2269/2005/हनुमानगढ़ दलीपराम बनाम मनोज कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम दर्ज विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टिब्बी ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.04.2005 से अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। उनका कथन है कि अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत सहकारी समिति के प्रमाण पत्र एवं पटवारी के द्वारा जारी पास–बुक में हरिजन अंकित किया हुआ है जिसकी ओर तहसीलदार, टिब्बी के द्वारा ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित किया था। राज्य सरकार के आदेशानुसार हरिजन जाति की कृषि भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अंतरण नहीं की जा सकती है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी सारहीन बताते हुये उसे खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वितीय अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :– ''उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2003 को प्रार्थी/अपीलांट का धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण–रेस्पो0 के आदेश 7 नियम 1 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पर इस आधार पर खारिज किया गया है कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण को जरिये बयनामा दिनांक 17.06.2003 खरीदशुदा है तथा भाट जाति अनुसुचित जाति के अंतर्गत नहीं आती। चक 5 एम0जेड0डब्ल्यू0 की जमाबंदी संवत 2059 में विवादित भूमि अपीलांट के पिता बुजन पुत्र देवाराम जाति भाट सा0 डबलीकलां के नाम खातेदारी दर्ज है। बुलन पुत्र देवाराम के द्वारा दिनांक 17.06.2003 को करवाये गये बयनामे में उप पंजीयक द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2269/2005/हनुमानगढ़ दलीपराम बनाम मनोज कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई कार्यवाही में बुजन पुत्र देवाराम की जाति में ओवरराईटिंग है। दिनांक 31.07.1987 को जारी पास–बुक में बुजन पुत्र देवाराम की जाति भाट अनुसुचित दर्ज है। प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 डबली कलां के प्रमाण पत्र में बुजनराम के पुत्र मनोज सिंह की जाति भाट हरिजन दर्ज है। व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति डबलीकलां द्वारा दिनांक 01.05.2003 को जारी प्रमाण पत्र में बुजनराम पुत्र देवाराम की जाति हरिजन होना अंकित किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत डबली कलां द्वारा दिनांक 27.10.2004 को जारी प्रमाण पत्र में अपीलांट मनोज कुमार पुत्र बुजनराम की जाति नायक(हरिजन) होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की जाति के संबध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच किये बिना तथा अपीलांट/प्रार्थी को साक्ष्य का कोई अवसर दिये बिना अप्रार्थीगण के आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर मात्र यह मानते हुये कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खरीददार है तथा भाट जाति अनुसुचित जाति में नहीं आती। प्रार्थी का धारा 183(बी) ाक प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट की जाति के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एवं उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु मामला रिमाण्ड योग्य बनता है।'' इस प्रकार उक्त निगरानीधीन निर्णय एवं निगरानी के समस्त तथ्यों के विवचेन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र अपने निगरानीधीन निर्णय के द्वारा खारिज किया गया है। इस संबंध में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अंतर्गत कोई वाद तभी खारिज किया जा सकता है जब वह विधि द्वारा वर्जित हो। इसके अलावा भी इस विधिक प्रावधान के अंतर्गत तभी कोई वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2269/2005/हनुमानगढ़ दलीपराम बनाम मनोज कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खारिज किया जा सकता है जब प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवरण के पढने मात्र के आधार पर ही कोई वाद खारिज होने योग्य पाया जावें। इस प्रकरण में पेश जिस वादपत्र के संबंध में यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं उसमें वादपत्र के कौनसे पैरा के कौनसे विवरण को पढ़ने मात्र से ही वाद खारिज होने योग्य पाया जावें इसका विधिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसके संबंध में उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक एवं विधिक विवरण के आधार पर पृथक से विधिक तनकी कायम की जाकर उस विधिक तनकी पर उभयपक्षों के साक्ष्य लेकर ही उसमें समुचित रूप से विधिक निर्णय किया जा सकता है।

इस निगरानीधीन प्रकरण में एक व्यक्ति एवं उसके वर्ग के निर्धारण हेतु दोनों पक्षों के द्वारा परस्पर विरोधी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। इस स्थिति में उक्त व्यक्ति की जाति व वर्ग के संबंध में समुचित रूप से विधिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये यह आवश्यक है कि इसके संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार उभयपक्षों द्वारासंपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किया जावें। इन साक्ष्यों का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत ही विधिक रूप से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के निगरानीधीन निर्णय दिनांक 29.04.2005 में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है। फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाए। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
सदस्य